The Delhi Kuxyries Tax

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 50] No. 501 दिल्ली, शनिवार, मार्च 31, 2001/चैत्र 10, 1923

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 70

DELHI, SATURDAY, MARCH 31, 2001/CHAITRA 10, 1923

IN.C.T.D. No. 70

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

अधिस्चना

दिल्ली, 31 मार्च, 2001

सं. 21(1)(11)/2001/एल ए एस-II/टी ओ/3129.—निम्नलिखित सर्वसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है:

जैसाकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में दिनांक 30-3-2001 को पुर:स्थापित किया गया।

दिल्ली विलासिता वस्तू कर विधेयक, 2001

बिल संख्या 11, 2001

एक विधेयक

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में कुछ वस्तुओं पर विलासिता कर लगाने तथा संग्रह करने के लिये तथा इससे सम्बद्ध तथा इससे प्रासंगिक मामले के लिये व्यवस्था हेतु

यह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी की विधानसभा द्वारा भारतीय गणतंत्र के बावनवें वर्ष में निम्न प्रकार अधिनियमित किया जाए:-

> अध्याय -1 प्रारंभिक

- संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारंभ
- इस अधिनियम को दिल्ली विलासिता वस्तु कर अधिनियम, 2001 (1) कहा जाए.
- यह समूचे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में विस्तारित होता है। (2)

- (3) यह सरकारी राजपत्र में अधिसूचना से सरकार द्वारा यथानियत तिथि को प्रभावी होगा ।
- 2. परिभाषाएं
- (1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, तब तक इस अधिनियम में :----
 - (क) "आयुक्त" का अर्थ दिल्ली बिक्री कर अधिनियम, 1975 (1975 का 43) की धारा 9 की उपधारा 1 के अन्तर्गत नियुक्त बिक्री कर आयुक्त से हैं ;
 - (ख) "दिल्ली" का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से है ;
 - (ग) **"दिल्ली बिक्री कर अधिनियम"** का अर्थ दिल्ली बिक्री कर अधिनियम, 1975 (1975 का 43) से है;
 - (घ) "सरकार" का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से है और इसमें उपराज्यपाल शामिल है ;
 - (इ) "उपराज्यपाल" का अर्थ संविधान के अनुच्छेद 239 कक के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा निमुक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से हैं;
 - (च) "विलासिता वस्तु" का अर्थ सूची में यथाविनिर्दिष्ट वस्तुओं से हैं;
 - (छ) "ब्यक्ति" में व्यक्तियों की कम्पनी या एसोसिएशन या निकाय शामिल है, चाहे निगमित हो या नहीं हो और इसमें कोई हिन्दू अविभाजित परिवार, कोई फर्म, स्थानीय प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार भी शामिल है;
 - (ज) "निर्धारित" का अर्थ इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित से है :
 - (झ) "अनुसूची" का अर्थ इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची से है :
 - (अ) "स्टाकिस्ट" का अर्थ कोई व्यक्ति प्रचलित व्यापार के दौरान जिसके पास उसके नियंत्रण करने में विलासिता की वस्तुओं का मंडार उसके द्वारा दिल्ली में विनिर्मित, बनायी या प्रकमण की गई या दिल्ली में उसके द्वारा लाई गयी हो । दिल्ली में ऐसी विलासिता की वस्तुओं के मंडारण, विक्रय या पूर्ति या वितरण के लिये दिल्ली से बाहर किसी स्थान पर उसके अपने खाते में या किसी अन्य व्यक्ति के खाते में गयी हो ;
 - (ट) विलासिता की वस्तुओं का भंडारण स्टाकिस्ट के अपने स्टॉक में पड़ी विलासिता की वस्तुओं की मात्रा या स्टाकिस्ट के अभिलेख या खाते में दर्ज स्टॉक में पड़ी

विलासिता वस्तुएं अथवा किसी वर्ष के दौरान भंडारण, किसी थोक विक्रेता, बिचौलिया, खुदरा विक्रेता या किसी अन्य व्यक्ति को बेचने, वितरण या पूर्ति करने के लिये स्टाकिस्ट द्वारा प्राप्त की या उपलब्ध की गयी विलासिता की वस्तुओं की मात्रा, लेकिन इसमें इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि को स्टॉक में पड़ी ऐसी विलासिता की वस्तुओं की कोई मात्रा शामिल नहीं होती है;

- (ठ) "कर" का अर्थ इस अधिनियम के अन्तर्गत विलासिता वस्तुओं पर देय कर से हैं ;
- (ड) "विलासिता वस्तुओं के स्टॉक का कुल मूल्य" किसी स्टाकिस्ट के संबंध में किसी वर्ष या इसके भाग से सम्बद्ध अर्थ विलासिता वस्तुओं के स्टॉक के कुल मूल्य से हैं;
- (ब) विलासिता वस्तुओं के स्टॉक के मूल्य का अर्थ -
- (i) विलासिता की कुछ वस्तुओं का किसी विनिर्माता का स्टाकिस्ट होने संबंधी, इस प्रकार की विलासिता की वस्तुओं की प्राप्ति या अपने स्टॉक में दर्ज करते समय इनका मूल्य एक्स फैक्ट्री मूल्य के आधार पर ज्ञात किया गया;
- (II) किसी अन्य स्टाकिस्ट के संबंध में इस प्रकार की विलासिता वस्तुओं का मूल्य दिल्ली के भीतर या दिल्ली के बाहर उस व्यक्ति के बिल, इन्वाइस या प्रेषण टीप या इस प्रकार के अन्य प्रलेख के आधार पर ज्ञात किया जाएगा, जिस व्यक्ति से ऐसी विलासिता की वस्तुएं प्राप्त की गयी हैं;
- (iii) उपखण्ड (1) तथा (2) में वर्णित किसी स्टाकिस्ट के संबंध में विलासिता की वस्तुओं के स्टॉक के मूल्य में निम्न शामिल होंगे ;
- (क) किसी विनिर्माता अथवा इन वस्तुओं के आयातक द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, ऐसी विलासिता वस्तुओं पर भुगतान किए गये या भुगतान योग्य उत्पादन शुल्क, काउंटरवेलिंग शुल्क;
- (ख) दिल्ली में स्टाकिस्ट के किसी परिसर, गोदाम, भंडार गृह या किसी अन्य स्थान पर ले जाने के लिये दुलाई प्रभार, बीमा प्रभार, पैकिंग प्रभार, प्रेषण एवं हैंडलिंग प्रभार ।

उपबन्ध है कि जहां पर खरीद इनवाइस या बिल प्रस्तुत नहीं किया गया है या जहां पर प्रस्तुत इनवाइस/बिल तर्क संगत आधार पर झूठ मान लिया गया है या यदि, विलासिता की वस्तुएं खरीदने के बजाय अधिगृहित या प्राप्त की गयी है वस्तुओं का मूल्य वह मूल्य होगा, जिन पर इस प्रकार या गुणवत्ता की विलासिता वस्तुएं बेची जाती हैं या खुली मार्किट में बेचने योग्य है; (ण) "वर्ष" का अर्थ अप्रैल माह के प्रथम दिन से प्रारंभ वर्ष से हैं।

(2). इस अधिनियम में प्रयुक्त सभी शब्द तथा अभिव्यक्तियां, लेकिन इसमें परिभाषित नहीं है, लेकिन दिल्ली बिक्री कर अधिनियम परिभाषित है, का वहीं अर्थ होगा, जो उन्हें उक्त अधिनियम में दिया गया है।

अध्याय -2

कर का प्रभाव क्षेत्र तथा उगाही

- कर का प्रभाव तथा उगाही
- (1) विलासिता की वस्तुओं के कुल भंडार पर इस संबंध में अधिसूचना से सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में नियत दर, जो पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, पर कर लगाकर इकट्ठा किया जाएगा तथा विलासिता की वस्तुओं की भिन्न-भिन्न श्रेणियों की भिन्न-भिन्न दरें होंगी।
- (2) इस अधिनियम के अन्तर्गत उगाही योग्य कर किसी पंजीकृत स्टाकिस्ट द्वारा भुगतान किया जाएगा या इस अधिनियम के अन्तर्गत स्वयं पंजीकृत कराने योग्य किसी स्टाकिस्ट द्वारा भुगतान किया जाएगा ।
- (3) उपधारा (1) में कुछ भी रहते हुए लेकिन यथानिर्धारित प्रमाण प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन, किसी भी प्रकार का कर विलासिता की वस्तुओं के भंडार के मूल्य पर उगाडा नहीं जाएगा,(i) जो दिल्ली से बाहर किसी अन्य स्थान को भिजवाया जाता है।
 (ii) इस अधिनियम के अन्तर्गत जिन पर कर का भुगतान किया गया है।
- 4. प्रमाण का दायित्व

कर की उगाही तथा निर्धारण के प्रयोजनार्थ यह मान लिया जायेगा कि प्रत्येक पंजीकृत स्टाकिस्ट या इस अधिनियम के अन्तर्गत स्वयं पंजीकृत योग्य प्रत्येक स्टाकिस्ट, जिसका त्यापार दिल्ली में स्थित है, वह विलासिता के समस्त स्टॉक के मूल्य पर कर अदा करने के लिए उत्तरदायी है जो उससे संबंधित है तथा यह सिद्ध करने का भार कि किसी भी विलासिता वस्तु का त्यापार कर अदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, उस स्टॉकिस्ट पर रहेगा। कर की छूट देने या कम करने के लिए सरकार की शक्ति सरकार-सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यथाविनिर्दिष्ट शर्तों और प्रतिबंधों के अनुसार विलासिता वस्तुओं या स्टाकिस्टों की किसी भी श्रेणी के संबंध में इस अधिनियम के अधीन भुगतान योग्य कर की छूट दे सकती है या कम कर सकती है।

अध्याय -3

पंजीकरण, विवरणी, कर का भुगतान तथा लेखों का रख-रखाव

व्यापारियों का पंजीकरण

1)

- इस अधिनियम के अधीन कर अदा करने के लिए उत्तरदायी
 प्रत्येक स्टाकिस्ट उस तरीके से तथा उस अविध में जो भी
 निर्धारित हो, इस अधिनियम के अधीन स्वयं को पंजीकृत कराएगा:
 उपबंध है कि वह स्टाकिस्ट जो पहले से ही दिल्ली बिक्री कर
 अधिनियम के अधीन पंजीकृत है यथानिर्धारित सूचना प्रस्तुत करने
 पर उसे उसी तरह इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत समझा
 जाएगा।
- 7. विवरणी, कर और ब्याज का भुगतान
- (1) इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत प्रत्येक स्टाकिस्ट तथा प्रत्येक अन्य स्टाकिस्ट जिससे आयुक्त द्वारा उससे ऐसा करने की अपेक्षा की जाती है, निर्धारित तरीके से तामील की गई सूचना द्वारा उस तारीख तक तथा ऐसे प्राधिकारी को स्टॉक की (जो निर्धारित हो) बिक्री की विवरणी प्रस्तुत करेगा तथा यथानिर्धारित तरीके और रूप में विलंबित भुगतानों पर प्राप्त देय कर और ब्याज का भुगतान करेगा।
- (2) प्रत्येक पंजीकृत स्टाकिस्ट तथा उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये अपेक्षित प्रत्येक स्टाकिस्ट सरकारी खजाने या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में या यथानिधारित किसी अन्य तरीके से इस अधिनियम के अधीन उससे देय कर की पूरी राशि जो ऐसी विवरणी के अनुसार हो, जमा कराएगा तथा जहां ऐसा भुगतान सरकारी खजाने या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा की गई है, विवरणों सहित ऐसे खजाने या बैंक से प्राप्त रसीद प्रस्तुत करेगा जिसमें ऐसी राशि का भुगतान दर्शाया गया हो ।
- (3) देय कर के अतिरिक्त ब्याज दो प्रतिशत प्रति माह के हिसाब से भुगतान योग्य होगा यदि उपधारा (1) के अधीन अपनी विवरणियों सहित देय कर या भुगतान योग्य कर अदा करने में असमर्थ रहता

है तथा जहां स्टाकिस्ट चूककर्ता है <mark>या ऐसी गलती की तारीख से</mark> इस अधिनियम के अधीन निर्धारित या पुनः निर्धारित कर का भुगतान करने में गलती करने वाला समझा गया है।

- (4) उप धारा 3 में यथा उपबंधित दर पर ब्याज उस अवधि के लिए भुगतान योग्य होगा जो किसी न्यायालय या प्राधिकारी के आदेश द्वारा कर की राशि की वसूली रोकी जाएगी तथा ऐसा आदेश बाद में रह समझा जाएगा ।
- (5) इस धारा के अधीन भुगतान योग्य ब्याज इस अधिनियम के अधीन देय कर समझा जाएगा।
- 8. कर निर्धारण
- (1) जहां वर्ष के लिए देय सभी विवरणियां प्रस्तुत की जा चुकी हैं तथा निर्धारित अवधि में प्रदत्त ऐसी विवरणी के अनुसार देय कर, उस वर्ष के संबंध में स्टाकिस्ट का कर-निर्धारित समझा जाएगा तथा आयुक्त एक वर्ष की अवधि में स्टाकिस्ट की उपस्थिति की अपेक्षा के बिना संक्षिप्त कर निर्धारित करेगा, जो उस वर्ष से होगा जिससे विवरणियां संबंधित हैं तथा संक्षिप्त कर निर्धारण करते समय, आयुक्त को अंक गणितीय समायोजन करने का प्राधिकार होगा जैसा कि कर के विलंबित भुगतान के लिए देय हो सकता है।
- (2) उपधारा (1) में निहित किसी बात के अन्यथा होते हुए चाहे विवरणी प्रस्तुत की गई हों या नहीं की गई हों तथा निर्धारित अविध में ऐसी विवरणी के अनुसार देय कर भुगतान किया गया हो, आयुक्त, यदि प्रस्तुत विवरणी से संतुष्ट नहीं है या यह सुनिश्चित करना आवश्यक या समीचीन समझता है कि स्टाकिस्ट ने ऐसी विलासिता स्टॉक की बिकी कम बताई है, उस पर सूचना की तामील करेगा जिसमें उससे विनिर्दिष्ट तारीख को कार्यालय में उपस्थित होने तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने या करवाने की अपेक्षा

करेगा जिसमें स्टाकिस्ट अपनी विवरणी के समर्थन में निर्भर हो सकता है तथा उसके संबंध में आयुक्त को संतुष्ट करेगा।

उपबंध है कि इस उपधारा के अधीन उस वर्ष जिससे विवरणी संबंधित है, की समाप्ति से दो वर्षों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् स्टाकिस्ट पर सूचना की तामील नहीं की जाएगी।

- (3) सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को या यथासंभव उसके पश्चात् आयुक्त सभी साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात् प्रस्तुत जो किए जा सकते हैं,स्टाकिस्ट से देय कर की राशि का निर्धारण करेगा।
- (4) यदि कोई स्टाकिस्ट उपधारा (2) के अधीन जारी किसी सूचना की शर्तों का पालन करने में असमर्थ है, तो आयुक्त उससे देय कर की राशि का सही निर्णय से कर निर्धारण करेगा ।
- (5) जहां उपधारा (1) से उपधारा (4) के अधीन किसी कर निर्धारण का निर्धारित समय में निर्णय नहीं होता तो विलासिता वस्तुओं के भंडार की बिक्री की स्टाकिस्ट द्वारा अपनी विवरणी में घोषित किया गया है, उसे उक्त विवरणी के आधार पर निर्धारित, पुनःनिर्धारण, कर का भुगतान और वसूली, अपील और समीक्षा से संबंधित इस अधिनियम के उपबंध यथासंभव परिवर्तनों सहित इस प्रकार समझे गए कर निर्धारण पर लागू होंगे।
- (6) यदि उस सूचना पर जो उसके कब्जे में आ गई है, आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि कोई स्टाकिस्ट किसी भी अवधि के संबंध में इस अधिनियम के अधीन कर अदा करने के लिए उत्तरदायी है तथा धारा 6 के अधीन उसने स्वयं को पंजीकृत नहीं कराया है तो आयुक्त अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार कर-निर्धारण करने के लिए यथानिर्धारित तरीके से स्टाकिस्ट से देय कर की राशि को आगे मेजेगा जो उस अवधि तथा सभी परवर्ती अवधियों से संबंधित होगा तथा ऐसा कर निर्धारण करते समय स्टाकिस्ट को सुनवाई का उचित अवसर देगा तथा आयुक्त यदि इस बात से संतुष्ट है कि गलती बिना किसी कारण की गई थी तो निर्देश देगा कि स्टाकिस्ट अर्थदंड के रूप में इस प्रकार निर्धारित कर की राशि के साथ-साथ उस राशि का भी भुगतान करेगा जो उस राशि के दुगुने से अधिक नहीं होगी।
- (7) उपधारा (6) के उपबंध के अधीन कोई कर निर्धारण उस वर्ष की समाप्ति से छःवर्ष की समाप्ति के पश्चात् जिसके संबंध में या जिसके भाग में कर निर्धारण किया गया हो, नहीं किया जाएगा।

9. पुनः कर-निर्धारण

(1)

- जहां धारा 8 के अधीन किसी वर्ष या उसके किसी भाग के लिए स्टाकिस्ट के कर निर्धारण के पश्चात, आयुक्त के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी अवधि के संबंध में किसी स्टाकिस्ट की कूल बिकी या उसका कोई भाग कर निर्धारण से बच गया है या कम निर्धारण किया गया है, या कर योग्य दर से कम दर में इसका कर निर्धारण किया गया है तो आयुक्त----(क) कर निर्धारण के अंतिम आदेश की तारीख से 6 वर्षों के अंदर, उस मामले में स्टाकिस्ट ने बिकी छिपाई है, उसके विवरण मिटाए हैं या पूर्ण रूप से प्रस्तुत करने में असफल रहा है ; तथा (ख) कर निर्धारण के अंतिम आदेश की तारीख से 5 वर्षों के अन्दर किसी अन्य मामले में ; स्टाकिस्टों पर सूचना की तामील करता है तथा उसे सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात तथा जैसा वह आवश्यक समझें जांच करने के पश्चात अपने निर्णय के अनुसार ऐसी बिक्री के संबंध में स्टाकिस्ट से देय कर की राशि को आगे भेजेगा तथा इस अधिनियम के उपबंध तद्नुसार यथासंभव उस पर लागू होंगे।
- (2) निम्नलिखित के पश्चात् कर निर्धारण, पुनः कर निर्धारण या पुनः गणना का कोई भी आदेश उपधारा (1) के अधीन नहीं किया जाएगा ---
 - (क) छः वर्षों की समाप्ति या जैसी भी स्थिति हो कर निर्धारण के अंतिम आदेश की तारीख से चार वर्षों की समाप्ति जैसा कि उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट है, या
 - (ख) उपधारा (1) के अधीन सूचना तामील करने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति जो भी बाद में हो ।

10. लेखे

प्रत्येक पंजीकृत स्टाकिस्ट या प्रत्येक स्टाकिस्ट जो इस अधिनियम के अधीन स्वयं को पंजीकृत करने के लिए उत्तरदायी स्टाकिस्ट अपने व्यापार स्थल में अपने व्यापार से संबंधित लेखों का यथा-निर्धारित तरीके से रख-रखाव करेगा।

अध्याय-4

प्रवेश, निरीक्षण, तलाशी, जब्ती, सील करना तथा कर चोरी के अन्य उपबंध

11. लेखा तथा वस्तुओं का निरीक्षण, तलाशी तथा जब्त करना

दिल्ली बिक्री कर अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत निरीक्षण, तलाशी तथा जब्ती के नियम यथावत् रूप में इस अधिनियम पर भी लागू होंगे।

12. अधिनियम के अन्तर्गत (1) अपराध तथा अर्थदंड

जहां कोई व्यक्ति ---

- (क) इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण के लिए उत्तरवायी कोई व्यक्ति स्वयं को पंजीकृत नहीं करवाता है, या
- (ख) विवरण भरने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति विवरणिका नहीं भेजता है या उसमें ब्याज सिहत निश्चित की गई राशि को विवरणिका के अनुसार जमा नहीं करवाता है, यदि कोई अपने व्यापार के संबंध में जान बूझकर झूठे लेखा-पुस्तकें, रिजस्टर, दस्तावेज या झूठे विवरण तैयार करता है या जिस कथन को अमिलेखाबद्ध किया जाना था उसे ऐसा नहीं करता है या इस अधिनियम या उसकी नियमावली के अधीन अपेक्षित कोई घोषणा नहीं करता है;
- (ग) इरादतन कर से बचता है या छुपाता है या जानबूझकर अपनी बिक्री या कर दायित्व को किसी रूप में छुपाता है ;
- (घ) जानबूझकर मांग नोटिस की अवमानना करता है या किसी मांग नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहता है तथा उसके द्वारा मांग नोटिस प्राप्त होने पर छः महीने का समय बीत जाता है:
- (इ) अधिनियम की धारा 10 के अधीन बताए रूप में अपनी लेखा पुस्तकों को तैयार नहीं करता है ;
- (च) उपरोक्त किसी अपराध में किसी व्यक्ति को सहायता या प्रोत्साहन देता है ;

उसे छः महीने तक का साधारण कारावास या बीस हजार रूपये तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

स्पष्टीकरण. - इस उपधारा के खंड (ध) के अधीन किसी अपराध में अन्तिम भुगतान किये जाने तक निरंतर अपराध माना जाएगा ।

DELHI GAZETTE: EXTRAORDINARY

- (2) जहां इस धारा के अधीन व्यापार के संबंध में कोई अपराध किया जाता है तो अपराध किए जाने की अविध में जो व्यक्ति व्यापार संचालन के लिए उत्तरदायी हो या अपने कार्य या गलती के द्वारा किसी रूप में कानूनी दायित्व पूरा न करने के लिए जबावदेह या तो उस पर इस धारा के अधीन कार्यवाही करके दंड दिया जायेगा।
- (3) उपधारा (2) में किसी भी उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जहां इस धारा के अधीन अपराध करने वाली कोई फर्म या कम्पनी है तथा पाया जाता है कि अपराध फर्म के हिस्सेदार, या अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, कम्पनी निदेशक, की सहमति, मिलीभगत से किया गया था या लापरवाही का उत्तरदायित्व उस पर आता है तो ऐसा भागीदार, अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, निदेशक पर व्यक्तिगत रूप से कार्यवाही की जायेगी तथा वह इस धारा के अधीन दंडनीय होगा।
- (4) इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही जिसमें कर निर्धारण, पुनः कर निर्धारण, शुद्धिकरण या वसूली की कार्यवाही है जिसमें जुर्माना लगाने की कार्यवाही शामिल नहीं है तो इस धारा के अधीन किसी भी कार्यवाही पर कोई विपरीत असर नहीं पढ़ेगा और वह चलती रहेगी।
- (5) यदि कोई व्यापारी किसी उचित कारण के बिना इस अधिनियम के किसी उपबंध या नियमों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो उस पर उल्लंघन किए जाने या उचित कार्यवाही न करने के लिए अर्थदंड लगाया जा सकता है जो पांच हजार रुपये या वस्तुओं के मूल्य का 15% से अधिक, इनमें जो भी कम हों, नहीं होगा । जहां यह उल्लंघन या असफलता जारी रहती है तो यह जुर्माना उल्लंघन या असफलता जारी रहने के प्रति एक दिन के लिए पांच सौ रुपये तक हो सकता है:

उपबंध है कि जुर्माना लगाने से पूर्व सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है ।

- (6) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में उपरोक्त के विपरीत कुछ भी रहते हुए उपधारा (1) में परिभाषित समस्त अपराध संज्ञेय तथा जमानती होंगे ।
- (7) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम या इसके अधीन बनी नियमावली में दंडनीय कोई भी अपराध का संज्ञान नहीं करेगी सिवाय आयुक्त की पूर्व स्वीकृति के, तथा मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट से न्यून कोई न्यायालय इस अपराध में मुकदमा नहीं चलाएगी।

अध्याय -5 दिल्ली बिक्री कर अधिनियम के उपबंधों का लागू होना

13. दिल्ली बिक्री कर अधिनियम, 1975 के अधीन अधिकारियों को इस अधिनियम के अन्तर्गत कर निर्धारण, पुनःनिर्धारण आदि का अधिकार

इस अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अन्तर्गत बनाई नियमावली के अधीन रहते हुए दिल्ली बिक्री कर अधिनियम के अधीन इस समय कर निर्धारण, पुनः निर्धारण, संग्रहण, ब्याज तथा जुर्माने के भूगतान को लागू करने संबंधी शक्तियां रखने वाले अधिकारी इस अधिनियम के अन्तर्गत उसी प्रकार कर निर्धारण, प्नः निर्धारण, संग्रहण तथा भुगतान का प्रवर्तन जिसमें व्यापारी द्वारा कोई ब्याज या अर्थदंड शामिल है कर सकता है जैसे कि दिल्ली बिकी कर अधिनियम के अधीन देय है इस उद्देश्य के लिए दिल्ली बिक़ी कर अधिनियम तथा उसके नियमों के अधीन किसी या सभी अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं तथा दिल्ली बिक्री कर अधिनियम के उपबंध तथा नियमावली जो विवरण, कर निर्धारण, नोटिस, शुद्धिकरण, संग्रहण, पंजीकरण, किसी हिन्दू संयुक्त परिवार की परिवार के विभाजन या फर्म के भंग होने पर कर भगतान के दायित्व, कर वसूली की विशेष पद्धति, अपील, संशोधन, संदर्भ, घन वापसी, जुर्माना, अर्थदंड, ब्याज प्रभारित करना या भगतान तथा व्यापारी द्वारा भेजे गए दस्तावेजों को गोपनीय रूप में संभालना, बिक्री छुपाने के लिए पुनः कर निर्धारण, कर की वसूली, लेखों का रखरखाव, निरीक्षण तलाशी तथा जब्ती, प्रतिनिधि रूप में दायित्व, दिल्ली के उच्च न्यायालय में मामले का संदर्भ, अपराधों का शमन तथा विविध प्रकार के अन्य मामलों पर तंद्रप में ही लाग होंगे।

व्याख्या. - दिल्ली बिक्री कर अधिनियम के सभी प्रावधान इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही संबंध में जहां तक इस अधिनियम के उपबंधों के विरोध में न हो इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही पर यथावत रूप में लागू होंगे।

अध्याय -6 विविध एवं नियमावली

- 14. इस अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों को लोक सेवक माना जाए
- 15. दीवानी अदालतों में वादों पर प्रतिबंध

- आयुक्त की शक्तियों का प्रत्यायोजन
- अनुसूची संशोधन
 की शक्ति
- 18. नियम बनाने की शक्ति

(1)

इस अधिनियम के अधीन नियुक्त सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भारतीय दंड संहिता 1860(1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक माना जायेगा ।

कोई वाद इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाई गई नियमावली के अन्तर्गत पारित किसी करांकन आदेश या कोई अन्य आदेश रह करने या आशोधन करने के लिए किसी दीवानी अदालत में नहीं लाया जाएगा और कोई अभियोग, वाद या अन्य कार्यवाही इस अधिनियम के अन्तर्गत या इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत सद्भावना से कुछ किया गया या किए जाने वाला, सरकार या सरकार के किसी अधिकारी के विकद नहीं होगी।

निर्धारित की गई प्रतिबंधों तथा शतों के अधीन आयुक्त लिखित आदेश के अधीन अपनी किसी शक्ति, प्रकार्य तथा कर्त्तत्य का इस अधिनियम के सिवाय धारा 12 की अनुसूची (7) के तथा यह अधिकारी किसी भी अधिकारी को जो सहायक बिक्रीकर अधिकारी के पद का हो, दिये जा सकते हैं।

सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अनुसूची में जोड़ सकती है, हटा सकती है या अन्यथा अनुसूची में संशोधन जैसा आवश्यक समझे तद्नुसार अनुसूची संशोधित कर सकती है। इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी;

उपबंध है कि यदि सरकार इस बात से संतुष्ट है कि विद्यमान परिस्थितियां जो कि तुरन्त कार्यवाही चाहती है तो इस धारा के अन्तर्गत बनाए गए किसी नियम के पूर्व प्रकाशन को अलग कर सकती है।

- (2) विशेषतः पूर्वोक्त शक्ति पर सामान्यः प्रतिकृत प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम -
 - (क) इस अधिनियम द्वारा विनिर्धारित करने के लिए तुरन्त अपेक्षित या अनुमत सभी मामले ;
 - (खा) स्टाकिस्ट के पंजीकरण के लिए प्रक्रिया ;
 - (ग) रिटर्न को जमा करने और दस्तावेजों के प्रस्तुत करने तथा व्यक्ति की मौजूदगी को प्रवर्तन करने तथा उसकी शपथ की जांच करने को बाध्य करना ;

- (घ) इस अधिनियम के अन्तर्गत सामान्यः अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा कार्यवाही में अपनाए जाने वाले मानकों का विनियमन करना:
- (इ) कोई अन्य मामला जिसमें शुल्क की उगाही शामिल है जिसके लिए कोई प्रावधान नहीं है या इस अधिनियम में पर्याप्त प्रावधान न हो तथा जिसके लिए इस अधिनियम के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए सरकार के मत में प्रावधान आवश्यक हो ;
- (3) किन्हीं नियमों को बनाने में सरकार निदेश दे सकती है कि इसके भंग होने पर विनिर्धारित प्राधिकरण विनिर्धारित तरीके से अर्थदंड लगा सकती है जो कि पच्चीस हजार से अधिक न हो, तथा जब इस तरह का भंग जारी रहता है तो ऐसे भंग जारी रहने के दौरान चूक के प्रत्येक दिन के लिए अर्थदंड (पैनल्टी) लगाया जा सकता है जो कि पांच हजार रुपये से अधिक नहीं होगा ।
- (4) इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए प्रत्येक नियम के बनने के बाद इसे यथाशीघ्र दिल्ली विधानसभा के समक्ष कुल तीस दिन के सत्र काल में रखा जाएगा । उक्त अवधि एक सत्र की है या दो सत्रों की हो या इससे अधिक उत्तरवर्ती सत्रों को मिलाकर हो और यदि आगामी सत्र या पूर्वोक्त उत्तरवर्ती सत्रों से तुरन्त पहले सत्र समाप्त होने से पहले सदन नियम में किसी प्रकार का संशोधन करने के लिए विधानसभा सहमत है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो, इसके बाद नियम केवल ऐसे आशोधित रूप में प्रभावी होगा या प्रभावी नहीं होगा, जैसी भी स्थिति हो, तथापि ऐसा संशोधन या निष्प्रभावन उक्त नियम के अन्तर्गत पहले किए गए की वैद्यता पर प्रतिकृत प्रभाव से रहित होगा ।

कठिनाई दूर करने
 की शिक्ति

- वैद्यता पर प्रतिकूल प्रभाव से रहित होगा ।

 (1) यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में कोई कितनाई उत्पन्न होती है तो सरकार, सरकारी राजपन्न में, समय की मांग के अनुसार ऐसे आदेश द्वारा जो कि इस अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के असंगत न हो, कितनाईयों को दूर करने के उद्देश्य से जो आवश्यक समझे, कर सकती है;

 उपबंध है कि इस अधिनियम के प्रवित्त होने के दो वर्ष की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् ऐसे कोई भी आदेश पारित नहीं किये जायेंगे।
- (2) इस धारा के अधीन जारी किये गये आदेश जारी होने के तुरन्त पश्चात दिल्ली विधानसभा के सामने रखे जाएंगे।

अनुसूची

(धारा	7	तथा	धारा	17	की	उपधारा	(1)	की	खंड	(핍)	तथा	(अ)	देखें)
---	------	---	-----	------	----	----	--------	-----	----	-----	-----	-----	-----	-------	---

क्र0सं0	वस्तु का नाम
1,	सिगरंट
2.	पान मसाला सुगंधित या अन्याथा रूप में किसी अन्य विवरण
3.	पाइप तथा सिगरेट के लिए धुम्रपान मिक्सचर
4,	तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पाद, जो इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं
5,	टैक्सटाइल तथा फैब्रिक्स (खादी छोडकर)उस मूल्य से अधिक जिस तक धारा 5 के अन्तर्गत छूट प्राप्त है ।
6.	मोटर वाहन, उस मूल्य से अधिक जिस तक धारा 5 के अन्तर्गत छूट प्राप्त है ।
7,	घडियां, उस मूल्य से अधिक जिस तक धारा 5 के अन्तर्गत छूट प्राप्त है ।
8.	होम थियेटर्स, उस मूल्य से अधिक जिस तक धारा 5 के अन्तर्गत छूट प्राप्त है ।
9,	टैलीविजन, उस मूल्य से अधिक जिस तक धारा 5 के अन्तर्गत छूट प्राप्त है ।
10.	फाउंटेन पेन, उस मूल्य से अधिक जिस तक धारा 5 के अन्तर्गत छूट प्राप्त है ।
11.	फर्नीचर, उस मूल्य से अधिक जिस तक धारा 5 के अन्तर्गत छूट प्राप्त है ।
12.	रैडिमेड गारमैन्टसं, उस मूल्य से अधिक जिस तक धारा 5 के अन्तर्गत छूट प्राप्त है ।
13.	किस्टल वस्तुएं, उस मूल्य से अधिक जिस तक धारा 5 के अन्तर्गत छूट प्राप्त है ।
14.	परफर्यूम्स, उस मूल्य से अधिक जिस तक धारा 5 के अन्तर्गत छूट प्राप्त है ।
15.	एयरकंडीशनर्स, उस क्षमता से अधिक जिस तक धारा 5 के अन्तर्गत छूट प्राप्त है ।
	एस. के. शर्मा, सचिव

उददेश्यों एवं कारणों का विवरण

संविधान की सातवीं सूची की 62वी प्रविष्टि के अर्न्तगत एंश्वर्य साधनों, जिसमें मनोरंजन कर, आमोद-प्रमोद के साधन, जुआ व शर्त, आदि शामिल है पर, केन्द्र व राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के अनुसार, राज्य को कर लगाने की क्षमता प्राप्त है । सरकार से विभिन्न विकास योजनाओं के लिए अधिक से अधिक साधन जुटाने की अपेक्षा की जाती है । समान बिकी कर दरों पर सहमित हो जाने के बाद बिकी कर द्वारा और साधन बढ़ाने पर सीमा लग गई है । वैसे भी बिकी कर के उँचे रेट आम जनता को प्रमावित करते हैं ।

- 2 आगे, यदापि ईंघन पर कर, बिकी कर का सबसे बड़ा अंश है, सरकार का, वर्तमान वर्ष में सी0एन0जी0 पर छूट जारी रखने का इरादा है। सरकार को प्रदूषण स्तर कम करने के लिए, सी 0एन0जी0 बसें प्राप्त करने के लिए, दिल्ली मेट्रो रेल के निर्माण के लिए तथा परिवहन ढांचे के सुधार हेतु भी निधि उपलब्ध करानी है। संसाधनों की कुल बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए, हमारे लिये यह आवश्यक है कि कुछ नवीन कर के उपाय किये जायें। अधिकतर राज्यों ने तम्बाकू तथा इसके उत्पादों तथा समाज के आर्थिक रूप से सम्पन्न लोगों द्वारा उपयोग किएँ जा रहे टैक्सटाईल पर विलासिता कर लेना आरम्म कर दिया है
- 3 तम्बाकू और इसके उत्पाद का प्रयोग नागरिकों के स्वास्थ्य में गिरायट लाता है । यह सरकार पर भी बोझ बढ़ाता है, जिसको इसके सेवन से उत्पन्न होने वाली बीमारियों के इताज के लिए चिकित्सा सुविधायें प्रदान करनी पढ़ती हैं । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तम्बाकू तथा गुटका जैसे इसके उत्पादों के सेवन में कमी करने के लिए वचनबद्ध है । अब इसलिए ऐसी मदों पर विलासिता कर लगाना अनिवार्य है । अब अन्य राज्यों की तर्ज पर विधान लागू करना प्रस्तावित है ।
- 4 विधेयक उपरोक्त उददेश्यों को प्राप्त करेगा I

(महिन्दर सिंह साथी) वित्त मंत्री, दिल्ली सरकार

दिल्ली दिनांक

प्रत्यायोजित विधान से संबंधित ज्ञापन

विधेयक का खंड 3,6,7,8 तथा 10 सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है । बनाए जाने वाले नियम स्टाकिस्ट द्वारा देय विलासिता कर, पंजीकरण प्रमाण-पन्न देने के लिए किए गए आवेदन के लिए प्रपन्न के नमूने का निर्धारण तथा प्रपन्न का निर्धारण जिसमें पंजीकरण प्रमाण पन्न जारी किया जाएगा, प्रत्येक स्टाकिस्ट द्वारा रिटर्न भरने तथा कर तथा ब्याज के भुगतान के लिए प्रपन्न तथा तरीके का निर्धारण से संबंधित होंगे।

विधेयक के खंड 16 में लिखित आदेश से इस विधेयक के अधीन आयुक्त की शक्ति, प्रकार्य तथा कर्त्तव्य को सिवाय खंड 12 के उपखंड (7) के, ये शक्तियां सहायक बिक्रीकर अधिकारी से उँचे किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित की जा सकती हैं।

विधेयक के खंड 18 में विधेयक के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने की शक्तियों से युक्त है।

जिन विषयों पर नियम बनाये जा सकते हैं या आयुक्त के अधिकारी, प्रकार्य तथा कर्त्तत्य अधिनस्थ अधिकारियों को सौंपे जा सकते हैं, प्रशासनिक विवरण का विषय है तथा इसकी प्रक्रिया तथा शक्तियों का प्रत्यायोजन का स्वरूप सामान्य प्रकार का है।

वित्तीय ज्ञापन

दिल्ली विलासिता वस्तुओं पर कर विधेयक, 2001 के क्रियान्वयन पर होने वाला खर्च कम होगा क्योंकि इसकी तुलना में इन उपायों से राजस्व अधिक प्राप्त होगा । यद्यपि इस दिशा में तकनीकी विशेषज्ञता लाने का प्रत्येक प्रयास किया जायेगा, धीरे-धीरे कुछ न्यूनतम कर्मचारियों को लगाना पढ सकता है । प्रस्तावित कानून को क्रियान्वित करने के लिए, अतिरिक्त कर्मचारियों में, यदि जरूरत हो ; एक सहायक आयुक्त, कुछ बिक्री कर अधिकारी तथा निरीक्षक और सहायक कर्मचारी होंगे । उपरोक्त कर्मचारियों पर वार्षिक वित्तीय खर्च दस लाख रुपये होगा ।

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT NOTIFICATION

Delhi, the 31st March, 2001

F. No. 21(1) (11)/2001/LAS-II/TO/3129.—The following is published for general information As introduced in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 30-3-2001.

The Delhi Luxuries Tax on Commodities Bill, 2001 Bill No. 11 of 2001

A Bill to provide for the imposition and collection of luxuries tax on certain commodities and for matters connected therewith and incidental thereto in the National Capital Territory of Delhi

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Fifty-second Year of the Republic of India as follows: -

CHAPTER-I

PRELIMINARY

- 1. Short title, extent and commencement.—
- (1) This Act may be called the Delhi Luxuries Tax on Commodities Act, 2001.
- (2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.
- (3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the official Gazette, appoint.

2. Definitions.—

- (1) In this Act, unless the context otherwise requires,
 - (a) "Commissioner" means the Commissioner of sales tax appointed under sub-section (1) of section 9 of the Delhi Sales Tax Act, 1975 (43 of 1975);
 - (b) "Delhi" means the National Capital
 Territory of Delhi;
 - (c) "Delhi Sales Tax Act" means the Delhi Sales Tax Act, 1975(43 of 1975);
 - (d) "Government" means the Government of the National Capital Territory of Delhi and includes Lieutenant Governor;
 - (e) "Lieutenant Governor" means the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi appointed by the President under article 239AA of the Constitution;
 - (f) "luxuries" means the commodities as specified in the Schedule;

- (g) "person" includes any company or association or body of individuals, whether incorporated undivided family, a firm, a local authority, the Central Government, the Gevernment of any tevitory;
- (h) "prescribed" means prescribed by the rules made under this Act;
- (i) "Schedule" means the Schedule appended to this Act;
- (j) "stockist" means a person who has, in customary course of business, in his possession of, or control over, a stock of luxuries, whether manufactured, made or processed by him in Delhi, or brought by him into Delhi, either on his own account or on account of others, from any place outside Delhi, for stocking, vending, supplying or distributing such luxuries in Delhi;
- (k) "Stock of luxuries" means the quantity of luxuries being the own stock of the stockist or stocks entered in the records or accounts of the stockist or the quantity of luxuries the stockist receives or procures, during any year, for stocking, vending, distributing or supplying to a wholesaler, intermediary, retailer or any person, but does not include any quantity of such luxuries held in stock on the date of commencement of this Act:
- (l) "tax" means the tax on luxuries payable under this Act;
- (m) "turnover of stock of luxuries" in relation to a stockist, in respect of any year or part thereof, means the aggregate of the values of stock of luxuries;
- (n) "value of stock of luxuries" means,—
 - (i) in respect of a stockist, being a manufacturer of any of the

luxuries, the value of such luxuries calculated at the exfactory price at the time of receipt or entry thereof in his stock;

- (ii) in respect of any other stockist, the value of such luxuries calculated at the price thereof as per the bill, invoice or consignment note or other document of like nature, of any person within Delhi or outside Delhi, from whom such luxuries are received:
- (iii) in respect of any stockist mentioned in sub-clauses (i) and (ii), the value of stock of luxuries shall include,—
 - (A) excise duty, countervailing duty paid or payable on such luxuries by a manufacturer or importer thereof, as the case may be;
 - (B) transport charges, insurance charges, packing charges, forwarding and handling charges, if any, for carrying such luxuries to any premises, godown, warehouse or any other place of the stockist in Delhi:

Provided that where the purchase invoice or bill is not produced or when the invoice or bill produced is reasonably believed to be false or if, the luxuries are acquired or obtained otherwise than by way of purchase, the value of goods shall be the value at which the luxuries of like kind or quality are sold or are capable of being sold in the open market;

- (o) "Year" means the year commencing on the first day of April.
- All words and expressions used in this Act, but not defined herein but defined in the Delhi Sales Tax Act shall have the meanings assigned to them in that Act.

CHAPTER - II

INCIDENCE AND LEVY OF TAX

- 3. Incidence and levy of tax.-
- (1) There shall be levied and collected a tax on the turnover of stock of luxuries at such rate, not exceeding fifty per centum, as the Government may, by notification in the official Gazette, fix in this behalf and different rates may be fixed for different class or classes of luxuries.
- (2) The tax leviable under this Act shall be paid by registered stockist or a stockist liable to get himself registered under this Act.
- (3) Notwithstanding anything contained in subsection (1), but subject to the production of proof as may be prescribed, no tax shall be leviable on the value of stock of luxuries,
 - (i) which are dispatched to any place outside Delhi;
 - (ii) on which tax under this Act has been paid.

4. Burden of proof.—

For the purpose of levy and assessment of tax, it shall be presumed that every registered stockist or every stockist liable to get himself registered under this Act whose place of business is situate within Delhi is liable to pay tax on the value of all the stock of luxuries as are dealt with by him and the burden of proving that any transaction of such stockist in any of the luxuries is not liable to tax shall lie on such stockist.

5. Power of Government to exempt or reduce tax.—

The Government may, by notification in the official Gazette, subject to such conditions and restrictions as it may specify, exempt or reduce the tax payable under this Act in respect of any class of luxuries or stockists.

REGISTRATION, RETURNS, PAYMENT OF TAX AND MAINTENANCE OF ACCOUNTS

- 6. Registration of Dealers.—
- (1) Every stockist liable to pay tax under this Act shall get himself registered under this Act, in such manner and within such period as may be prescribed:

Provided that the stockist who are already registered under the Delhi Sales Tax Act, on furnishing such information as may be prescribed, shall be deemed to be registered under this Act as well.

- 7. Returns, payment of tax and interest.—
- (1) Every stockist registered under this Act and every other stockist, who may be required so to do by the Commissioner by notice served in the prescribed manner, shall furnish such returns of his turnover of stocks by such dates and to such authority and make payment of tax due and interest accrued on delayed payments in the manner and in the form as may be prescribed.
- required to furnish returns under subsection (1) shall pay into the Government treasury or the Reserve Bank of India or in such other manner as may be prescribed, the full amount of tax due from him under this Act according to such returns and shall, where such payment is made into a Government treasury or the Reserve Bank of India, furnish, along with the returns, a receipt from such treasury or the bank, showing the payment of such amount.
- (3) The interest, in addition to the tax due, shall be payable at two percent per month if the stockist fails to pay the tax due or payable, along with his returns under sub-section (1) and where the stockist defaults or is deemed to be a default in making the payment of tax assessed or re-assessed under this Act, from the date of such default.
- (4) Interest at the rate as provided in sub-section
 (3) shall also be payable for the period during which the realization of any amount of tax remains stayed by the order of any court or authority and such order is subsequently vacated.
- (5) The interest payable under this section shall be deemed to be tax due under this Act.

- 8. Assessment.—
- (1) Where all the returns due for the year have been furnished and tax due according to such returns paid within the prescribed period, the stockist shall be deemed to have been assessed in respect of the year and the

Commissioner shall make a summary assessment without requiring the presence of the stockist within a period of one year from to end of the year to which the returns pertain and in making such a summary assessment the Commissioner shall have the authority to make arithmetical adjustments as well as interest that might be due for belated payment of the tax.

(2)Notwithstanding anything contained in subsection (1), whether or not a return has been furnished and the tax due according to such return paid within the period prescribed, the Commissioner, if he is not satisfied with the return filed or considers it necessary or expedient to ensure that the stockist has not understated his turnover of stock of luxuries, shall serve the stockist a notice requiring him, on a date to be specified therein to attend his office and to produce or cause to be produced there any evidence on which the stockist may rely in support of the return and to satisfy the Commissioner in regard thereto:

Provided that no notice under this sub-section shall be served on the stockist after the expiry of two years from the end of the year to which the return pertains.

- (3) On the date specified in the notice, or as soon as may be thereafter, the Commissioner shall, after considering all the evidence which may be produced, assess the amount of tax due from the stockist.
- (4) If a stockist fails to comply with the terms of any notice issued under sub-section (2), the Commissioner shall assess to the best of his judgment the amount of tax due from him.
- Where an assessment under sub-section (1) to sub-section (4) is not concluded within the time, if any, specified therein, the turnover of stock of luxuries, declared by the stockist in his return, shall be deemed to have been assessed on the basis of the said return and the provisions of this Act relating to assessment, re-assessment, payment and recovery of tax, appeal and revision shall mutatis mutandis apply to such deemed assessment.

- If upon information which has come into his (6) possession, the Commissioner is satisfied that any stockist who is liable to pay tax under this Act in respect of any period, has failed to get himself registered under section 6, the Commissioner shall proceed in such manner as may be prescribed to assess to the best of his judgment the amount of tax due from the stockist in respect of such period and all subsequent periods and in making such assessment shall give the stockist a reasonable opportunity of being heard, and the Commissioner may, if he is satisfied that the default was made without reasonable cause, direct that the stockist shall pay by way of penalty, in addition to the amount of the tax so assessed, a sum not exceeding twice that amount.
- (7) No assessment under the provision of subsection (6) shall be made after the expiry of six years from the end of the year in respect of which or part of which the tax is assessed.
- 9. Re-assessment .-
- under section 8 for any year or part thereof, the Commissioner has reason to believe that the whole or any part of the turnover of a stockist in respect of any period has escaped assessment to tax or has been under-assessed or has been assessed at a lower rate than the rate at which it is assessable, the Commissioner may—
 - (a) within six years from the date of final order of assessment, in a case where the stockist has concealed, omitted or failed to disclose fully the particulars of such turnover; and
 - (b) within four years from the date of the final order of assessment, in any other case,

serve a notice on the stockist and after giving the stockist an opportunity of being heard and making such inquiry as he considers necessary, proceed to determine to the best of his judgment, the amount

of tax due from the stockist in respect of such turnover, and the provisions of this Act shall, so far as may be, apply accordingly.

- (2) No order of assessment, reassessment or recomputation shall be made under subsection (1), after—
 - (a) the expiry of six years or, as the case may be, four years from the date of final order of assessment as specified in sub-section (1); or
 - (b) the expiry of one year from the date of service of notice under sub-section(1), whichever is later.

10. Accounts .-

Every registered stockist or every stockist liable to get himself registered under this Act shall maintain and keep at his place of business, a true account relating to his business in such manner and form as may be prescribed.

CHAPTER IV

ENTRY, INSPECTION, SEARCH, SEIZURE, SEALING AND ANTI - EVASION PROVISIONS

 Inspection, search and seizure of accounts and goods.— The provisions of the Delhi Sales Tax Act, and the rules framed thereunder regarding inspection, search and seizure shall mutatis mutandis apply to this Act.

12. Offences and penalties.—

(1) Where any person-

- (a) liable to be registered under this Act fails to register himself;
- (b) liable to file the return, fails to file return or pay the tax due according to such return within the time stipulated together with interest accrued thereon, if any, or knowingly prepares or produces false accounts, registers or documents or

furnishes false return in relation to his business or makes a false disclosure or averment in any statement required to be recorded or in any declaration required to be filed under this Act or the rules framed thereunder;

- (c) intentionally avoids or evades or conceals tax or deliberately conceals his turnover or tax liability in any manner;
- deliberately disregards a notice of demand or fails to pay the amount in terms of any notice of demand and a period of six months has lapsed since the receipt of the notice of demand by him;
- (e) fails to maintain accounts in the manner as required under section 10 of this Act;
 - (f) aids or abets any person in the commission of any such offence as aforesaid;

he shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to twenty thousand rupees or with both.

Explanation.— An offence under clause(d) of this Sub-section shall be deemed to be a continuing offence until full payment is made.

- (2) Where an offence under this section is committed with regard to a business, every person, who was responsible for the conduct of the business at the time when the offence was committed or who was answerable for a legal lapse in any manner by his action or omission, shall be liable to be proceeded against and punished under this section.
- (3) Without prejudice to the provisions contained in sub-section (2), where an offence under this section is committed by a firm or a company and it is found that the offence has been committed with the

consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any partner of the firm or Chairman, Managing Director or Director of the company, such partner, Chairman, Managing Director or Director shall be personally liable to be proceeded against and punished under this section.

- (4) Any proceeding under this Act including the proceeding of assessment, reassessment, rectification or recovery other than the proceeding for imposition of penalty, shall be carried on without prejudice to any prosecution under this section.
- (5) If a dealer fails without reasonable cause to comply with any of the provisions of this Act or the rules framed thereunder, shall, if no other penalty is provided under this Act for such contravention or failure, be liable to imposition of penalty, not less than five thousand rupees and not exceeding fifteen percent of the value of goods, whichever is less, and where such contravention or failure is continuing one, to a further penalty not exceeding five hundred rupees for each day of default during the period of the continuance of the contravention or failure:

Provided that no such penalty shall be imposed without affording the dealer an opportunity of being heard.

- (6) Notwithstanding anything to the contrary contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), all offences defined in sub-section (1) shall be cognizable and bailable.
- (7) No court shall take cognizance of any offence punishable under this Act or the rules framed thereunder, except with the previous sanction of the Commissioner, and no court inferior to that of a Metropolitan Magistrate shall try any such offence.

CHAPTER V

CERTAIN PROVISIONS OF THE DELHI SALES TAX ACT APPLICABLE

13. Authorities under the Delhi Sales Tax Act empowered to assess, reassess, etc. tax under this Act.—

Subject to the other provisions of this Act and the rules framed thereunder, the authorities for the time being empoyered to assess, re-assess, collect and enforce payment of any tax, interest and penalty under the Delhi Sales Tax Act, shall assess, reassess, collect and enforce payment of tax, including any interest or penalty payable by a dealer under this Act as if the tax or interest or penalty payable by such a dealer under this Act is a tax, interest or penalty payable under the Delhi Sales Tax Act and for this purpose they may exercise all or any of the powers they have under the Delhi Sales Tax Act and the rules framed thereunder and the provisions of the Delhi Sales Tax Act and the rules framed thereunder relating to returns, notice, rectification, collection, assessment. registration, liability of any firm or Hindu undivided family to pay tax in the event of the dissolution of such firm or partition of such family, special mode of recovery of tax, appeals, revision, references, refunds, fines, penalties, charging or payment of interest, and the treatment of documents furnished by a dealer as confidential, re-assessment of escaped turnover, recovery of tax, maintenance of accounts, merection, search and seizure, liability in representative character, references of cases to the High Court of Delhi, compounding of offences and other miscellaneous matter shall mutatis mutandis apply accordingly.

Explanation. — All the provisions of the Delhi Sales Tax Act regarding proceedings under the said Act, in so far as the same are not inconsistent with the provisions of this Act shall apply mutatis mutandis to the proceeding under this Act.

CHAPTER VI MISCELLANEOUS AND RULES

14. Officers and servants appointed under this Act to be public servants.—

All Officers and servants appointed under this Act shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).

15. Bar of suits in civil courts.-

No suit shall be brought in any civil court to set aside or modify any assessment made or any order passed under this Act or the rules framed thereunder and no prosecution, suit or other proceeding shall lie against the Government or any officer of the Government for anything in good faith done or intended to be done under this Act or the rules framed thereunder.

Delegation of Commissioner's power.— Subject to such restrictions and conditions as may be prescribed, the Commissioner may, by order in writing, delegate any of his powers, functions and duties under this Act except that under sub-section (7) of section 12 to any officer not below the rank of an Assistant Sales Tax Officer.

17. Power to amend Schedule.-

The Government may, by notification in the official Gazette, add to, or omit from, or otherwise amend the Schedule and thereupon the Schedule shall be deemed to be amended accordingly.

- 18. Power to make rules .-
- (1) The Government may, by notification in the official Gazette and subject to the condition of previous publication, frame rules for carrying out the purposes of this Act;

Provided that if the Government is satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action, it may dispense with previous publication of any rules to be framed under this section.

- (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for—
 - (a) all matters expressly required or allowed by this Act to be prescribed;
 - (b) procedure for registration of stockists;
 - (c) compelling the submission of returns, production of documents, enforcing the attendance of persons and examining them on oath;
 - (d) generally, regulating the procedure to be followed, and the norms to be adopted in proceedings under this Act;
 - (e) any other matter including levy of fees for which there is no provision

or no sufficient provision in this Act and for which provision is, in the opinion of the Government, necessary for giving effect to the purposes of this Act.

- (3) In framing any rules, the Government may direct that for a breach thereof, the Commissioner may, in the prescribed manner, impose a penalty not exceeding twenty five thousand rupees, and when the breach is continuing one, a penalty not exceeding five hundred rupees may be imposed for every day of default during the continuance of such breach.
- (4) Every rule framed under this Act shall be laid, as soon as may be after it is framed. before the Legislative Assembly of Delhi while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive session aforesaid, the Legislative Assembly agrees in making any modification in the rule or the Legislative Assembly agrees that such rule should not be framed, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect; as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done or omitted to be done under that rule
- 19. Power to remove difficulties.—
- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order in the official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty;

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the Legislative Assembly of Delhi.

Schedule

(See clauses (f) and (i) of sub-section (1) of section 2 and section 17)

Sr.No	Name of the commodity.
1	Cigarettes.
2	Pan masala, perfumed or treated a harming of
3	Pan masala, perfumed or treated otherwise, of any form or description. Smoking mixtures for pipes and cigarettes.
4	Tobacco and tobacco products (Excluding bidi) not specifically mentioned in this Schedule.
5	Textiles and fabrics (excluding khadi) exceeding the price range up to which the exemption is granted under section 5
6	Automobiles exceeding the price range up to which the exemption is granted under section 5.
7	Watches exceeding the price range up to which the exemption is granted under section 5.
8	Home Theaters exceeding the price range up to which the exemption is granted under section 5.
9	Televisions of 30" inch size and above.
10	Fountain Pens exceeding the price range up to which the exemption is granted under section 5.
11	Furniture exceeding the price range up to which the exemption is granted under section 5.
12	Readymade Garments exceeding the price range up to which the exemption is granted under section 5.
13	Crystal items exceeding the price range up to which the exemption is granted under section 5.
4	Perfumes exceeding the price range up to which the exemption is granted under section 5.
5	Air Conditioners above the capacity up to which the exemption is granted under section 5.

S.K. SHARMA, Secy.

STATEMENT OF OBJECT AND REASONS

Distribution of legislative powers among the Central and State Governments enables the State to impose taxes on luxuries, including taxes on entertainment, amusements, betting an gambling in terms of entry 62 of Seventh Schedule to the Constitution. The Government is called upon to raise more and more resources for funding the various development schemes. There is a limitation for raising resources by way of imposition of sales tax in view of the agreed Uniform Floor Rate structure and the fact that higher rates of sales tax affect the common people as well.

- Further, though tax on fuel forms the largest component of Sales tax the Govt. intends to continue the exemption on CNG during the current year. The Government is also called upon to provide funds for procuring CNG buses, construction of Delhi Metro Rail and improvement of transport infrastructure to reduce pollution level. Considering the overall constraints of resources, it is necessary for us to plan some innovative tax measures. Most States have started levying luxury tax on tobacco and its products as well as costly items being used by the economically well off sections of the society.
- 3. Use of tobacco and its products leads to decline in the health of the citizens. It also creates a burden on the Government which is called upon to provide medical facilities for treatment of ailments arising from such consumptions. The Government of National Capital Territory of Delhi is committed to curtail the use of tobacco and its products like Gutka. It is, therefore, essential to levy luxury tax on such items. It is proposed to introduce legislation on the lines of similar measures taken by other States.
- 4. The Bill seeks to achieve the above objective.

DELH	I,			
Dated	the			

(MAHINDER SINGH SAATHI) MINISTER OF FINANCE

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clauses 3,6,7,8 and 10 of the Bill empower the Government to frame rules. These rules to be framed inter-alia, relate to luxury tax payable by a stockist, prescription of the Forms for making application for grant of certificate of registration and prescription of the Form in which certificate of registration shall be issued, prescribing the manner and forms for filing returns and making payments of tax and interest by every stockist.

Clause 16 of the Bill confers on the Commissioner the power by making orders in writing, to delegate any of his powers, functions and duties under the Bill except that under sub-clause (7) of clause 12 to any officer not below the rank of an Assistant Sales Tax Officer.

Clause 18 of the Bill vest in the Government generally the power to frame rules for carrying out the purposes of the Bill.

The matters in respect of which rules may be framed or the powers, functions and duties of the Commissioner to be delegated to subordinate functionaries are matters of administrative detail and procedure and, as such, the delegation of legislative power is of a normal character.

FINANCIAL MEMORANDUM

The financial implications in implementing the Delhi Luxuries Tax on Commodities Bill, 2001, will be minimal as compared to the possible revenue, the measure is likely to fetch. While every attempt would be made to infuse technical expertise, some minimum staff may have to be added in due course. The additional staff if required for the implementation of the proposed law is likely to consist of not more than one Assistant Commissioner, a couple of sales tax officers and inspectors alongwith supporting ministerial staff. The annual financial expenditure on the above mentioned staff will be around ten lakh rupees.